MR. CHAIRMAN: Let the decision be taken on it. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, we cannot leave it to the Minister.... *(Interruptions)*... It is four years. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I am afraid, that is...*(Interruptions)*... Yes, please.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: How can I give an assurance to the House, before I complete the work? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Viplove Thakur, please.

श्रीमती विप्ल्व ठाकुर: माननीय सभापति जी, जो हमारे बहुत seasoned politician हैं, उन्होने woman and child के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न पुछा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हम महिला-महिला करते हैं, क्या वे पुरुषों के लिए भी कोई ऐसा कैंप लगाने जा रही हैं, Awereness Camp ...(**व्यवधान**)... सुनिए, जिसमें उनकें mind-set को, जो सदियों से बना हुआ है, उसको बदलने के लिए कोई ऐसा कदम उटाने जा रही हैं, क्या उसको भी इसमें लाने जा रही हैं? जब तक हम पुरुषों के mindset को नहीं बदलेंगे, तब तक हम महिलाओं के बारे में जितना बात करते जाएं हम यहां जरूर बोल कर जाते हैं, लेकिन घर मे वही हालत होती है, मुह्ल्ले में वही हालत होती है। मैं यह जानना चाहती हूं ।

SHRIMATI RENUKA CHO WDHURY: Sir, let me tell you, it is a very pertinent question because, I think, men cannot afford to remain the problem. They have to become part of the solution to address this. It is true that if the woman is not associated with the man, she does not have many problems. No *sati* without*pati.* ...*(Interruptions)*... You see, everywhere, it is a comparative. We have now set up an initiative where we are calling for a round table conference where a lot of men's representatives, including those from *Patni Peedit Seva* and such associations. The victims of 498A, as they call themselves, are coming to meet us on this round table and we have social behavioural psychologists and other people involved in this to understand what provokes a man to beat his wife, what instigates domestic violence, how does the man see his life partner as less than the dowry that she brings and does not view her as a recurring deposit, what motivates the man...*(Interruptions)*...

श्री अमर सिंह:क्या मंत्री महोदया सती प्रथा के पक्ष में हैं? अभी उन्होने सती का उध्द्रण दिया है।

श्रीमती विप्ल्व ठाकुर : नहीं, नहीं , उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होने तो कहा है कि पति न हो सती भी नहीं होगी...(**व्यवधान**)...

अगर वह पति से जुड़े तभी तो सती की बात आती है, नहीं तो इसका सवाल ही नहीं उटता है।

MR. CHAIRMAN: We will go to the next Question, 482...*(Interruptions)*... SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I have said no *sati* without *pati.*

अगर वह पति से जुड़े तभी तो सती की बात आती है, नहीं तो इसका सवाल ही नहीं उटता है।

Enlistment of OBCs

* 482. SHRI ABU ASIM AZMI: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether there is a proposal under active consideration of the Central Government to enlist Other Backward Classes (OBCs), besides Scheduled Castes/Scheduled Tribes;

(b) if so, whether there is a demand to from a Third Schedule for OBCs and Vimukti Jati and Nomadic Tribes (VJNT);

(c) if so, whether Government has taken/proposes to take steps in view of the said demand; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Central Government has already been notifying lists of "backward classes" other than those of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, from time to time.

Government has constituted a National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes with the following terms of reference:

(i) To specify the economic interventions required for raising the living standards of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes' by asset creation and self-employment opportunities;

(ii) To recommend measures to utilize the existing channeling agencies set up for the economic development of SC/STs and OBCs for extending an economic development package to these groups, keeping in view their specific requirements;

(iii) To identify programmes required for their education, development and health; and

(iv) To make any other connected or incidental recommendation, that the commission deems necessary.

श्री अबू आसिम आजमी: हमारे संविधान की धारा 16 (1) के मुताबिक धर्म् की बुनियाद पर रिजवेर्श्न देने पर सख्ती से रोक है। ऐसी सुरत में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1995 के बाद धर्म् के आधार पर शेडयूल्ड् कास्ट् रिजर्वेशन क्यो दिया जा रहा है, जबकि 1936 से 1950 तक ऐसा नहीं था ? ...(**व्यवधान**)... क्या मैं यह सवाल फिर से पूछूं?

श्रीमती मीरा कुमार : मेरे पास जो लिखित प्रश्न आया है जो सवाल इन्होने पूछा है, वह डीएनटी के बारे में है। इन्होने पूछा है कि डीएनटी को आप थर्ड् शेडयूल में रखेंगे या नहीं, लेकिन अब आप यह सवाल पूछ रहे हैं कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसका क्या औचित्य् है? आपने जो लिखित प्रश्न पूछा है, यह प्रश्न उससे बिल्कुल ही भिन्न् है।

श्री अबू आसिम आजमी : आप उसकी मंत्री हैं । लिखित प्रश्न का उत्त्र तो मुझे मिल गया है, यह तो मेरा सप्लीमेंटरी क्वेश्च्न है।

بنیاد پر رزرویشن دینے پر سختی سے روک ہے۔ ایسو صورت میں، میں منتری
جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ 1995 کے بعد دھرم کے آدھار پر شیڈول کاسٹ
رزرویشن کیوں دیا جا رہا ہے، جبکہ 1936 سے 1950 تک ایسا نہیں تھا؟
۔مداخلت۔ کیا میں یہ سوال پھر سے پوچھوں؟

'[Transliteration in Urdu Script]

شری ابو عاصم اعظمی : آپ اس کی منتری ہیں۔ لکھت پرشن کا اتر تو مجھے مل گیا ہے، یہ تو میرا سپلمینٹری کونشچن ہے۔

श्री शाहिद सिद्दिकी: यह बहुत वाजिब सवाल है, बहुत ब्रॉड सवाल है। इस सवाल का जवाब तो आप दे ही सकती हैं। इसके लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है।

شری شاہد صدیقی: یہ بہت واجب سوال ہے، بہت براڈ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب تو آپ دے ہی سکتی ہیں۔ اس کے لئے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔

श्रीमती मीरा कुमार: यह सही है कि इसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जो मामला है कि धर्म् के आधार पर आरक्षण देना है या नहीं देना है उन्हें जो इस्लाम धर्म् में अपने आप को दलित समुदाय कहते है, इन सब मामलों को ले करके देश के विभिन्न् न्यायालयों में इस समय कैसिज चल रहे हैं मुकदमें चल रहे हैं। मामला सबज्यूडिस हैं...(**व्यवधान**)... जी हां, मैं बता रही हूं ।

दूसरी बात यह हैं कि हमने लिंग्विसिटक और रिलिजियस कम्यूनिटीज के संबंध में एक कमीशन बनाया था । उस समय यह मेरे मंत्रालय के अंतर्गत था, लेकिन अब यह माइनॉरिटीज मिनिस्टी के अंतर्गत आता है । उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी । चूंकि यह संवैधानिक रूप से आवश्यक है इसलिए उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने जो रिकमेंडेशन्स दिए, उनको हमने शेडयूल्ड कास्ट का जो नेशनल कमिशन है, उनसे सलाह लेने के लिए भेज दिया । उसके बाद उनकी जो रिकमेंडेशन आई है, जो statute हैं, जो कानून हैं, जिसके अंतर्गत बैकवर्ड क्लासिज का नैशनल कमिशन बना है, उसमें यह आवश्यक है कि इस संबंध में उनसे भी सलाह ली जाए, इसलिए अब यह मामला उनके पास है ।

श्री अबू आसिम आजमी : चेयरमैन सर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा ।यह बड़ी इम्पोर्टेट चीज है । आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा ।

सर, दलित मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कब तक होगी ? मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकों को ABC Scheduled Tribe Quata में रिजर्वेशन मिलता है। सिर्फ Scheduled Caste Quate ही ऐसा है, जिसमें आज तक मुसलमान नहीं हैं, हालॉकि 1936के Scheduled Caste Order को अगर देखा जाए तो उसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख और बौद्ध, चारों धर्मो के दलितों को Scheduled Caste का दर्जा हासिल था । उसमें इसाई दलित इस Category में शुरू से नहीं, है । इस तरह मुसलमानो का दलित तबका Scheduled Caste का फायदा उठा रहा था । महाराष्ट्र इसकी मिसाल है ...(**व्यवधान**)...

شری ابو عاصم اعظمی: چیئرمین سر، میں آپ کا سنرکشن چاہوں گا۔ یہ بڑی امپورٹیٹ چیز ہے۔ آپ پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دیجئے۔

سر، دلت مسلمانوں کے ساتھہ ناانصافی کب تک ہوگی؟ مسلمانوں کے مختلف طبقوں کو ABC Scheduled Tribe quota میں رزرویشن ملتا ہے۔ صرف Scheduled Caste quota ہی ایسا ہے، جس میں آج تک مسلمان نہیں ہے، حالانکہ 1936 کے Scheduled Caste Order کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہندو، مسلمان، سکھہ اور بودھہ چاروں دھرموں کے دلتوں کو شیڈول کاسٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اس میں عیسائی دلت اس category میں شروع سے نہیں ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا دلت طبقہ Scheduled Caste کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مہاراشٹر اس کی مثال ہے ۔مداخلت۔

'[Transliterarion in Urdu Script]

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए ।

श्री अबू आसिम आजमी : मैं पूछ रहा हूं, Article सर I 14 में eqaulity before the Law कहा गया है I Article 15 में prohibition of discrimination on ground of religiionकहा गया है, Article untouchability punishable act को करार दिया गया है । मैं उसी आधार पर यह बात करना चाहता हूं । मैं इसमें सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार ही ने स्थापित सच्चार कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में कहा है — अभी इन्होंने कहा कि इसके लिए ...(**व्यवधान**)...

[شری ابو عاصم اعظمی: میں پوچھہ رہا ہوں، سر، Article 14 میں Equality before the Law کہا گیا ہے، آرٹیکل 15 میں prohibition of discrimination on ground of religion کہا گیا ہے، آرٹیکل 17 میں untouchability کو punishable act قرار دیا گیا ہے۔ میں اسی آدھار پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی سرکار ہی نے استھاپت سچّر کمیٹی اور رنگ ناتھن مشرا کی رپورٹ میں کہا ہے - ابھی انہوں نے کہا کہ اس کے لئے مداخلت۔]

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए ।

श्री अबू आसिम आजमी : मैं पूछ रहा हूं, सर । मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । इन्हीं की सरकार की सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट ने खुल कर कहा है कि INCLUDE Dalit Muslims in scheduled Cast list इसकी वकालत National Commison of Shcheduled Caste, National commison for Minoritiesने भी की है । इसके साथ ही राम विलास पासवान जी एक दलित लीडर है । कुमारी मायावती जी भी एक दलित लीडर ...(**व्यवधान**)...

[شری ابو عاصم اعظمی: میں پوچھہ رہا ہوں، سر، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ میں آپ کا سنرکشن چاہتا ہوں۔ انہیں کی سرکار کی سچّر کمیٹی اور رنگ ناتھن مشرا کی رپورٹ نے کھل کر کہا ہے کہ include Dalit Muslims in Scheduled Caste list. اس کی وکالت National Commission of Scheduled Caste, نے بھی کی ہے۔ اس کے ساتھہ ہی رام ولاس پاسوان جی ایک دلت لیڈر ہیں۔ کماری مایاوتی جی بھی ایک دلت لیڈر ہیں۔ مداخلت۔]

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए । ...(**व्यवधान**)...

श्री अबू आसिम आजमी : मैं इस मामले मेंइनसे यह पूछना चाहता हूं कि सरकार मुसलमानों में दलितों को Scheduled Caste का दर्जा कब देंगी ? मुसलमानो के साथ यह नाइंसाफी कब तक रहेगी ? यह मैं खुद इनसे पूछना चाहता हूं । इन्हीं की सरकार ने ...(**व्यवधान**)...

[شری ابو عاصم اعظمی: میں اس معاملے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار مسلمانوں کو شیڈول کاسٹ کا درجہ کب دے گی؟ مسلمانوں کے ساتھہ یہ ناانصافی کب تک رہے گی؟ یہ میں خود ان سے پوچھنا چاہتا ہون۔ انہیں کی سرکار نے ۔۔ مداخلت۔]

'[Transliteration in Urdu Script]

श्री सभापति : आपने सवाल पूछ लिया । अब बस ...(**व्यवधान**)...

श्री अबू आसिम आजमी : नाइंसाफियां हुई है । उनको इंसाफ मिलेगा यानहीं ? मंत्री जी से मैं बड़ी ही उम्मीद के साथ यह पूछना चाहता हूं। आप इसका खुल कर जवाब दीजिए ...(**व्यवधान**)... मुझे इसका गोलमोल जवाब नहीं चाहिए ...(**व्यवधान**)...

[شری ابو عاصم اعظمی: نا انصافیاں ہوئی ہیں۔ ان کو انصاف ملے گا یا نہیں؟ منتری جی سے میں بڑی ہی امید کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کا کھل کر جواب دیجئے ۔ مداخلت۔ مجھے اس کا گول مول جواب نہیں چاہئے ۔مداخلت۔]

MR. CHAIRMAN: Please put questions; do not make statements.

श्रीमती मीरा कुमार : सर, जो सवाल उन्होंने पूछा है, उस का जवाब मैं पहले ही दे चुकी है । मैं उसको फिर से दोहरा दूंगी, मगर मैं इसके साथ-साथ यह भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो संप्रग की सरकार है, उसने ही सच्चर कमेटी बिठाई, उसने ही religious और linguistic minorities पर कमेटी बिठाई ...(**व्यवधान**)... उसने ही माइनॉरिटीज के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया । इसलिएअगर बार-बार आपके मन में यहबात उठती है कि यह सरकार मुसलमानों के प्रति नाइंसाफी कर रही है, तो वह बात आप मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह सरकार, जो हमारे मुस्लिम भाई-बहन हैं, उनके प्रति बहुत ही संवेदनशील है और बहुत सद्भावना रखती है ...(**व्यवधान**)...

श्री अब आसिम आजमी : सर ...(**व्यवधान**)...

[شری ابو عاصم اعظمی: سر۔۔ مداخلت۔]

MR. CHAIRMAN: Azmi Sahib, please ...*(Interruptions)*.. Question has Been asked and answered ...*(Interruptions)*...

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, मैंने भी हाथ उठाया है ...(**व्यवधान**)...

[شری شاہد صدیقی : سر، میں نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے ۔مداخلت۔]

MR. CHAIRMAN: Shahid Sahibs **please.** ..*(Interruptions)*... Next supplementary please ...*(Interruptions)*.. Dr.EjazAli...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Shahid Sahib, Please ...*(Interruptions)*.. There is a question which has already been asked ...*(Interruptions)*... You have put your two supplementaries ... *(Interruptions)*...

श्रीमती मीरा कुमार : हम बता रहे हैं, आप सुनिए ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Azmi Sahib, this is not the way to go about it. ...*(Interruptions)*... Dr. Ejaz Ali ...*(Interruptions)*...

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, ...(**व्यवधान**)... सिर्फ हिन्दु दलितों के लिए ...(**व्यवधान**)...

[شری شاہد صدیقی : سر، ۔مداخلت۔۔ صرف ہندو دلتوں کے لئے ۔مداخلت۔]

श्रीमती मीरा कुमार : आप सुन तो लीजिए ...(**व्यवधान**)... **सर**, यह बिना सुने ही बोल रहे हैं । ...(**व्यवधान**)... **आप सुन तो लीजिए** ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please ...*(Interruptions)*... If you question the correctness of the anwer, there is a different procedure for it. Please ask you question, Dr. Ejaz Ali ...*(Interruptions)*...

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, ...(व्यवधान)... **तीन supplementaries अलाउड हैं** ...(व्यवधान)...

[شری شاہد صدیقی : سر، ۔مداخلت۔ تین سپلیمنٹریز الاوڈ ہیں ۔مداخلت۔]

श्री सभापति : मैं उनको सप्लिमेंटरी के लिए ही कह रहा हूं ...(**व्यवधान**)... **आप** जरा मेरी बात तो सुन लीजिए ...(**व्यवधान**)...Dr. Ejaz Ali..... (Interruptions)

श्री अबू आसिम आजमी : सर, मुझे इसका जवाब नहीं मिला ...(**व्यवधान**)... इसका क्या फायदा , सर ? ...(**व्यवधान**)...

†(شری ابو عاصم اعظمی: سر، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ مداخلت۔ اس کا کیا فائدہ سر؟)

श्री सभापति : **आपने** सवाल पूछ लिया । अगर आप इस जवाब को काफी नहीं समझते हैं, तो उसको उठाने का दूसरा तरीका भी है । अब आप दूसरे को सप्लिमेंटरी पूछने दीजिए ।

श्री अबू आसिम आजमी : सर ...(**व्यवधान**)... **इसमें एक साल लग जाता है** ...(**व्यवधान**)...

†(شری ابو عاصم اعظمی: سر،۔ مداخلت۔ اس میں ایک سال لگ جاتا ہے۔مداخلت۔)

डा0 ऐजाज अली : चेयरमैन साहब, हम वजीर मोहतरमा से यह जानना चाहते हैं कि जो 1950 का ऑर्डर आया, उसमें हिन्दू मजहब के दलित को छोड़कर मूस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट दलितों को इससे बाहर कर दिया गया था । फिर वर्ष 1956 में दलित सिखों को शामिल किया गया, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सिखों में30 परसेंट दलित आते हैं । उसी तरह से 1990 में बुद्धिस्टों को शामिल किया गया, उनकी आबादी का जो 90 फीसदी हिस्सा है । सच्चर कमेटी की सर्वे-रिपोर्ट के हिसाब से इस्लाम में सिर्फ 0.8 परसेंट दलित हैं यह सवालात कई बार उठाया जाता है, नेशनल कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया कि अगर मुसलमान दलितों को शामिल करेंगे, तो 15 परसेंट से उनको बाहर रखा जाए । सरकार से मेरी यह मांग है कि दलित मुसलमानों को शामिल न करने का बहाना बनाने से अच्छा है कि आप इस रिपोर्ट को देखें । जब इसमें सिखों के 30 परसेंट को शामिल कर लिया गया, तो किसी ओवरलोडिंग की बात नहीं हुई, बुद्धिस्टों के 90 फीसदी हिस्सो को शामिल किया गया, तो उस वक्त भी किसी ओवरलोडिंग की बात नहीं हुई, लेकिन जब मुसलमानों को शामिल करने की बात होती है, 1936 के ऑर्डर में सिर्फ जो एक ही कम्युनिटी डीलिस्टेड है, उसको शामिल करने की बात आती है, तो बहाने बनाते हैं । इधर 18 मई, 2007 को जो कैबिनेट में फैसला हुआ, उसमें यह बात आई कि दलित मुसलमानों को शामिल करने के लिए हम लोग रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट का हवाला लेंगे । रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट भी 21 मई को सबमिट कर दी गई, लेकिन आज तक उस पर विचार नहीं हुआ है ।

श्री सभापति : आप सवाल पूछ लीजिए ।

डा0 ऐजाज अली : सरकार की मंशा क्या है? हम यही जानना चाहते हैं । उसमें इच्छा-शक्ति है, या वह दूसरे के इशारे पर काम कर रही है ?

श्रीमती मीरा कुमार : सर, मैं ऑनरेबल मैम्बर को आश्वस्त करना चाहती हूं कि ...(**व्यवधान**)... **अगर** सुनेंगे, तो मैं बताऊंगी, इस सरकार की बहुत प्रबल इच्छा शक्ति है और इसीलिए मैंने जैसा कहा, इतने सारे कमीशन भी बने हैं, मगर कानूनी रूप से यह जरूरी है कि एनीसीबीसी , नेशनल कमीशन फोर बैकवर्ड क्लासेस, जिसमेंअब तक जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, पिछड़े वर्ग के ईसाई है, उनको बैकवर्ड क्लासेस में रखकर के, अब तक उन्हें ओबीसी की लिस्ट में रखकर, के वह सब सहूलियत दी जाती रही है । ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please don't interrupt.

श्रीमती मीरा कुमार : सर, सेक्शन 9 ऑफ एनसीबीसी एक्ट में यह प्रोविजन है कि अगर हम ओबीसी की लिस्ट में फेर-बदल करना चाहते हैं, उसमें से कुछ लोगों को निकालकर के किसी और लिस्ट में रखना चाहते हैं, या नहीं रखना चाहते हैं, तो हमें उनकी सलाह लेनी जरूरी है। उनकी सलाह लेने के लिए हमने उनके पास लिखा है, और हम उनकी सलाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री सभापति : श्रीमती सुले । ...(**व्यवधान**)... आपका सवाल हो गया । ...(**व्यवधान**)... प्लीज, ऐजाज, अली साहब, आपके सवाल का जवाब आ गया है ।

SHRIMATISUPRIYA SULE: This is with reference to the reply from the hon. Minister which says "to identify programmes required for education, development and health of

'[Transliteration in Urdu Script]

the nomadic tribe". Most of these programmes for education are run by the State Governments and they do not come under *Sarva Shiksha Abhiyan* and mere are a lot of problems with funding because we have a lot of tribal children who want to go to school but there is no funding available in the States. So, will the Central Government take an initiative and support the States in any issues relating to education required for these tribal children because they cannot go to a normal school. They need to lodge and board and live . There has to be a hostel to support. So, will the Government take some initiatives like these?

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I am very happy that finally a question has been asked about the written question and you have confined yourself to this. About the DNT, Denotified Tribe, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes, some of them are listed in the SC list, some are listed in the ST list and some are listed in the OBC list and depending upon which list they are included in, they enjoy those facilities.

If they are listed in the S.C. List, they will get benefits under the S.C. List.

The hon. Member is talking about Maharashtra. Let me tell you what the position in Maharashtra is. Sir, in Maharashtra, 14 De-notified Tribes are listed in the OBC List. So, they are getting the same facilities that are available to the SCs and the OBCs.

About hon. Member's specific point that they are not getting education and hostel facilities, I request the hon. Member to write to me and I will be very happy to attend to it.

DR. K. KESHAVARAO: Sir, my supplementary is pertaining to Part (a) of the main question. I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal to include Backward Classes listed in the State List in the Central OBC List. The States are doing this. But, the Centre is not doing this. The Centre is doing only through the Mandal Commission . Every State is including the OBCs into its List through a Commission. The same thing is not being done by the Centre. For example, now, in Andhra Pradesh, there are 111 BCs in the List which went up from 92. So, will the Government think of a comprehensive List? That means, what is listed in the Central List should be accepted by the States and what is listed in the State List should be accepted by the Centre.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, this matter was settled long ago, considering the social complexities of our very large country and different social systems and stratification prevailing in different States, there are two Lists. The List which was made by the Mandal Commission was the basis for the Central List, those OBC classes and castes of State list which were common to the Central List were included in the Central List. So, this is the Mandal List. This List is applicable so far as the Central Government posts are concerned. But, there has to be a State List, because there are so many OBCs in the States which are, actually, not common throughout the country. They are State-specific. So, the provisions of reservation are provided to them in the State.

MR. CHAIRMAN: Question No. 483.

श्री उदय प्रताप सिंह : क्योंकि मैं नेशनल कमीशन का मैम्बर रहा हूं, इसलिए मेरा सवाल जरूरी है। मुझे याद है कि 700 जातियों को इन्कलुड करने के लिए नेशनल कमीशन ने रिकमेंडेशन ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आपको इसका जवाब बाद में मिल जाएगा, आपने सवाल उठा दिया है।

श्री उदय प्रातप सिंह : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: देखिए, आपके लिए यह मौजू नहीं है प्रोसिज़र को इंटरेप्ट् करना।
श्री उदय प्रातप सिंह : सर, इतनी देर में तो बात हो जाती। ...(**व्यवधान**)...
श्री सभापति: प्लीज़,प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Sir, let there be a Half-an-Hour Discussion on this.

MR. CHAIRMAN: Okay. That is a good point.
श्री उदय प्रातप सिंह : तो क्या उनको आपने घोषित कर दिया हैं, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है?

MR. CHAIRMAN: It is all right. We go to the next Question. Question No. 483. Mr. Harish Rawat.

Implementation of Rural Electrification Scheme

* 483. SHRI HARISH RAWAT:
SHRIMATI SHOBHANA BHARTIA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Central Government has recently asked the State Governments to provide necessary support to expedite implementation of the Rural Electrification Scheme;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether some State Governments are not implementing the Scheme in an effective way, as a result of which people in rural areas are facing problems; and

(d) if so, the steps contemplated by Government to ensure proper implementation of the Scheme across the country?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. Execution of Rural Electrification works including village electrification and release of rural household connections under RGGVY is the responsibility of state governments and the concerned state power utilities. Rural Electrification Corporation Ltd. (REC) as a nodal agency for RGGVY facilitates flow of funds from Ministry of Power to implementing agenices/states, in addition to processing of detailed Project Reports received from state governments, monitoring of RGGVY program, and reporting progress to the Monitoring Committee on RGGVY. Ministry of Power as also REC have been impressing upon the State governments for according priority to implementation of the scheme besides extending support and taking suitable action for expeditious implementation of rural electrification works under RGGVY projects within stipulated timelines for completion of projects.

(c) Some states are taking more time than the committed schedule for implementing RGGVY works.

(d) Ministry of Power also proposes to request State Governments to set up State Level Steering Committee under the charimanship of State Chief Secretary comprising Secretaries